उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 79/2017/579/92-2-17-11जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 19 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

विधान परिषद स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, 2014 तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन न किये जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से अनुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय से बाहर रहने, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग न करने, लोहिया ग्रामों के कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार भ्रमण कर आख्या न देने] विधायक निधि के अन्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त खराब पाये जाने व निर्माण कार्यों में शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0 2634/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 13.08.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय-ज्ञाप सं0-5176/92-2014-23जांच/2014 दिनांक 19.11.2014 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता (कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ) का निलम्बन समाप्त करते हुए उन्हे सेवा में इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री नरेन्द्र कुमार के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13.08.2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

[redacted]

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-79/2017/579(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर, (सेवानिवृत) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।